


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(17)2018/कार्मिक/प्रमुवस/632

दिनांक 16 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 03-11 दिनांक 04.01.2021 से श्री राजेन्द्र प्रसाद खींची पुत्र श्री मिश्री लाल (एस.सी.) को वर्ष 2014-15 की डीपीसी में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2495-2616 दिनांक 20.08.2018 से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार जारी की गई वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 108 श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र श्री सूरज सिंह के नीचे एवं क्रम संख्या 109 श्री दशरथ सिंह राठौड पुत्र श्री गिरधर सिंह के ऊपर श्री राजेन्द्र प्रसाद खींची पुत्र श्री मिश्री लाल (एस.सी.) को सूची क्रमांक 108 ए पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। इस वरिष्ठता के क्रम में किसी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को आपत्ति हो तो इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाकर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की दिनांक 01.04.2018 की वरिष्ठता सूची में उक्तानुसार संशोधन का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जावेगा।



(श्रुति शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान-जयपुर

क्रमांक एफ 2(17)2018/कार्मिक/प्रमुवस/ 633-750

दिनांक 16 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची आपके अधीन पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को वितरण करवावें एवं इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
2. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अध्यक्ष, विभागीय कर्मचारी समन्वय समिति, वन विभाग जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद खींची पुत्र श्री मिश्री लाल (एस.सी.) कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।



(जे.एस.दहिया)

उप वन संरक्षक (संस्थापन)

जयपुर